राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2287/2025

श्यामलाल गुर्जर —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सीकर।
3. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड जमवा रामगढ़, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील आंधी जिला जयपुर।
5. दीपक दायमा, पटवारी, पटवार मंडल गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 17.03.2025
आदेश की दिनांक : 28.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल लालवास, पंचायत समिति आंधी जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 11.10.2017 को पअवार मण्डल सामरेड़ कलां में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2023 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ सामरेड़ कलां से पटवार मण्डल लालवास में लगाया गया था निजी प्रत्यर्थी को कार्यव्यवस्थार्थ लालवास से पटवार मंडल गांवली में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 के आदेश दिनांक 23.02.2023 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से लालवास का चार्ज लेने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से दिनांक 03.03.2023 को चार्ज लिया। अपीलार्थी का मूल पदस्थापन पटवार मण्डल सामरेड़ कलां है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलार्थी के मूल पदस्थापित स्थान सामरेड़ कलां के स्थान पर कार्यव्यवस्थार्थ लगाये गये पटवार मंडल लालवास, आंधी से नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा पंचायत समिति कोटखावदा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को लाभ पहुंचाने के आशय के किया

गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1931/2025 पुरूषोत्तम गौत्तम बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 05.03.2025 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है तथा माननीय उच्च न्यायलय में दायर एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 1605/2025 हजारी राम बनाम राजस्व एवं एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 1618/2025 सोनू बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–5) तथा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 544/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 में यह निर्धारित किया है कि नियम 9 एवं 412 के अनुसार पटवारियों के स्थानान्तरण से पूर्व पटवारियों के स्थानान्तरण करने हेतु पटवारियों का चयन किया जायेगा तथा चयन करने के पश्चात् ही आपस में पटवारियों के स्थानान्तरण किये जायेगे। परन्तु अपीलार्थी के प्रकरण में नियम 412 के अनुसार न तो अपीलार्थी का स्थानान्तरण हेतु चुनने की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है और ना ही संतुष्टि हेतु कोई रिकॉर्ड की गई है, जो उक्त प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को पटवारी के पद पर पटवार मंडल लालवास पंचायत समिति आंधी, जिला जयपुर में यथावत् पदस्थापित रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर पटवार मंडल लालवास, पंचायत समिति आंधी जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा पंचायत समिति कोटखावदा में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है।

5. अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा संतुष्टी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3224/2024 भंवर लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 01.03.2024 का अवलोकन

किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है।:—

"4. So far as the ground of the satisfaction of the officer passing the order is concerned, a Division Bench of this Court in the case of Gopalram vs State of Rajasthan and Anr.; D.B. Spl. Appl. Writ No.53/2020 (decided on 28.01.2020) has held as under:

"12. Coming to the contention of the appellant that the transfer order issued by the District Collector is violative of provisions of Rule 9 (II) and Rule 412, a conjoint reading of Rule 9 and Rule 412 indicates that a Patwari should not be ordinarily transferred, but then, he can always be transferred when considered necessary in the interest of efficiency of work or to fill up vacancy created by long leave, resignation, dismissal, suspension or transfer of the Patwari. Suffice it to say that besides for administrative exigency, a Patwari can be transferred even to fill up the vacant post created on account of various contingencies enumerated. Thus, on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of Patwaris are transferred within the District, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work, is violative of provisions of Rule 9 (ii) and Rule 412 of the Rules of 1957. As a matter of fact, the order impugned by itself reflects that the transfers have been effected for administrative exigency to fill up the vacant posts."

5. In the opinion of this Court, the satisfaction in terms of Rule 9(2) is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications as to in what terms and manner, the officer has satisfied himself. The term 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work."

6. माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4589/2024 प्रवीण कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 में संतुष्टी के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है :—

6. <u>This Court is of the clear opinion that the order impugned. passed in the interest of the State for administrative reasons, can definitely be termed to be a satisfaction of the officer concerned</u>. As held by this Court in the case of Bhanwar Lal Jaat vs. State of Rajasthan & Anr.; S.B. Civil Writ Petition No.3224/2024 (decided on 01.03.2024), satisfaction in terms of Rule 9(ii) of the Rules of 1957 is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer

concerned would be required to give out detailed specifications qua every employee, as to on what terms and in what manner the officer has satisfied himself. The terms 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work.

This Court also finds support from the Division Bench judgment in the case of Gopalram (supra) wherein it was specifically observed that on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of patwaries are transferred within the district, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work is violative of provisions of Rule 9(ii) of the Rules of 1957."

7. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किए गए स्थानांतरण में संतुष्टी अंतर्निहित है। वर्तमान में अपीलार्थी का प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है जिससे प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अपनी संतुष्टी के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)